# हमेशा शिक्षित रहें

लेख- ऐलेक सेन्टर
प्रस्तुति- नीलम कुमार

इस लेख में नौकरी से कर्मचारी को काम से निकाले जाने और उनपर किए गए अनुशासनिक कदम पर चर्चा की जा रही है। शांति दूत के 16 तारीख अक्टूबर वाले अंक में इस विषय की और जानकारी प्रकाशित थी। उससे आगे इस विषय पर आप इस लेख में पढ़ सकते हैं।

ऐसे मामले जो आमतौर से सुलझे नहीं होते हैं लेकिन ऐसी कई शिकायतें और समस्याएं हैं जिनपर ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनेशनल फीजी के एडवोकेसी और कानूनी सलाह सेन्टर लोगों को सलाह प्रदान करता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है जहां पूर्व में आपके मजदूर मालिक ने आपको काम से निकाला है या अनुशासित किया है तो भी आप ऐलेक की इस सलाह को पढ़कर यह जान सकेंगे कि आप को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए या क्या करना था।

यहां अनुशासन प्रणाली तथा उसकी मार्गदर्शिका के विषय में जानकारी दी जा रही है।

आम सलाह यह है कि अगर आपके साथ मजदूर मालिक ऐसे कोई कदम लेता है जहां आप सोचते हैं कि वो अन्याय है तो इस स्थिति में आप दूसरों की सलाह प्राप्त करने के लिए तैयार रहें।

नौकरी खोने से चिन्तित होना स्वभाविक। *चित्र- गूगल*

## अनुशासनिक कदम

हर मजदूर मालिक के पास अपने कर्मचारियों के लिए लिखित और निर्धारित नियम होने चाहिए जिनके दायरे में रहकर मजदूर काम कर सकते हैं और उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई नियम भंग करता होता है तो उनके साथ कैसा अनुशासनिक कदम लिया जा सकता है।

अगर मजदूर पहली बार नियमों को तोड़ता है तो उसे सिर्फ चेतावनी दी जाती है और नियम याद कराई जाती है। अगर मामला बहुत ही गम्भीर हो और स्पष्ट रूप से गैर जिम्मेदार हो तभी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। नियमों में यह स्पष्ट होने चाहिए कि क्या करने से नौकरी छूट सकती है जैसे चोरी करना, लड़ाई करना, गाली-गलोच करना, धोखाधड़ी या बगावत शामिल हैं। अगर आप एक मजदूर हैं और आपके पास ये नियम नहीं हैं तो बेहतर होगा कि किसी अनुशासनिक कदम से पूर्व आप इन नियमों से वाकिफ हो जाएं।

आप एक मजदूर हैं, चाहे आप के साथ इस तरह की कार्यवाही हो या न हो, फिर भी बेहतर यही है कि आप अपने काम करने वाले स्थान पर सभी नियमों से वाकिफ रहें।

## अनुशासन सम्बंधी रूपरेखा

काम करने वाले कुछ स्थानों में अनुशासनिक मार्गदर्शिका हैं

कुछ न्यायसंगत अनुशासनिक कदमों में शामिल हैं:

- आपका मजदूर मालिक विषय उठने पर तुरन्त कदम लेता है
- आपके मजदूर मालिक जिम्मेदारी के साथ पेश आता है
- मजदूर मालिक पूरी छानबीन सही रूप से करता है
- आपका मजदूर मालिक को यह बताए कि आपका क्या दोष है और आपको भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दे।
- अनुशासन से सम्बंधित किसी भी सभा में आप का अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दे
- कोई निर्णय पर आपको अपील करने का पूरा मौका प्रदान करे।

## बर्खास्तगी

अगर कर्मचारी पर लगाया हुआ आरोप गम्भीर है तो अनुशासन नियमों के अनुसार मजदूर मालिक छानबीन होने तक कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है। इस दौरान आपको आपका सामान्य वेतन दिया जाता रहेगा। छानबीन होने तक बर्खास्त होना, कोई अनुशासनिक पेनल्टी नहीं है और इसका मतलब यह भी नहीं कि आपका मजदूर मालिक कोई निर्णय ले चुका है। इसे आप एक स्वतंत्र कदम माने क्योंकि छानबीन के दौरान मजदूर मालिक आपके बिना किसी हस्ताक्षेप के स्वतंत्र रूप से छानबीन कर सकेगा। अगर आपका मजदूर मालिक आपको बिना तलब के बर्खास्त करता है और छानबीन जारी है, या फिर आपकी बर्खास्तगी लम्बे समय तक चल रही है तो इसपर आपको सलाह लेने की ज़रूरत है।

यहां से आगे छानबीन वाली सभा में आपकी उपस्थिति को लेकर जानकारी, फैसला सुनाने की प्रक्रिया तथा निर्णय पर अपील की कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी जो नवम्बर 20 तारीख वाले शांति दूत में प्रकाशित होगी।

चिन्तित मुद्रा प्रतिपादित कर रहा कार्टून